कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/बाल संरक्षण/2017–18 दिनांकः **22.09.2017**

समस्त संस्था प्रधान
राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय
पूर्व प्राथमिक/प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि
राजस्थान राज्य परिक्षेत्र, राजस्थान ।

विषय–समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संरक्षा एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु उचित एवं पर्याप्त प्रबन्ध एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ जीवन जीने का कौशल, संस्कार, कर्त्तव्य, दायित्व, नैतिक आचरण तथा सुबोध नागरिक बनने के लिये सभी आवश्यक संस्कार विद्यालय में प्राप्त करते हैं। रात्रिकालीन नींद के अलावा विद्यार्थियों के शेष समय का बड़ा हिस्सा विद्यालय में ही व्यतीत होता है। अभिभावक अपनी संतान को शिक्षा, संस्कार एवं सुरक्षा हेतु विद्यालय के भरोसे छोड़ कर निशिचिन्त हो जाते है। ऐसे में विद्यालय का दायित्व है कि वह मात्र औपचारिक पाठ्यक्रम पूर्ति पश्चात् परीक्षा लेकर उसे उत्तीर्ण करवाने तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझे वरन् विद्यालय का दायित्व है कि वो विद्यार्थी को सुयोग्य नागरिक बनाने में, नैतिक मूल्यों की स्थापना में, संस्कारों के निर्माण में तथा उनकी सुरक्षा का अपना दायित्व भी पूर्ण निष्ठा से निर्वहित करे। विद्यार्थी में दिखाई पड़ने वाले नैतिक विकारों, दिशाहीन विकास और उनकी भौतिक, नैतिक, शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के प्रति चिन्ता एवं भय की पृष्ठ भूमि में विद्यालयों द्वारा इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं देना भी सम्मिलित है। विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों में पैदा असुरक्षा तथा अनाचार के समाचार इसी दशा को अभिव्यक्त करते हैं। अतः समस्त विद्यालयों/संस्था प्रधानों/शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा अग्रांकित विवरणानुसार अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है :–

1. <u>विद्यालय एवं संस्था प्रधान के दायित्व</u> :–
   - i. विद्यालय स्वच्छ, पहुंच वाले स्थान पर स्थित हो। सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जावे। विद्यालय की एकांत या सुनसान स्थान पर अवस्थिति अनैतिक आचरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है ।
   - ii. विद्यालय परिसर में शौचालय सुनसान स्थान पर ना हो ताकि वे विद्यालय स्टाफ की नजर में रहें।
   - iii. विद्यालय में अगर विद्यार्थी स्कूल बस अथवा ऑटो से आता है तो इसका रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जावे। बस एवं ऑटो तथा उनके चालक/परिचालक का पुलिस सत्यापन कराया जावे। इसी प्रकार विद्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों/संविदा या ठेके पर कार्यरत कार्मिकों का भी सत्यापन कराया जावे। उनका पहचान पत्र साथ रहे एवं उसका संधारण भी हो।
   - iv. अनजान/संदिग्ध नजर आने वाले व्यक्ति के विद्यालय परिसर में देखे जाने पर उससे तत्काल पूछताछ कर पुष्टि की जावे।
   - v. विद्यार्थियों को उनके शरीर एवं उसके विकास के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी जावे। विशेषतः छोटी उम्र के विद्यार्थियों को अन्य व्यक्ति के स्पर्श (Good Touch and Bad Touch) के सम्बन्ध में उचित माध्यम से जानकारी प्रदान की जाए।

vi. विद्यालय की प्रार्थना सभा नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों के लिये उर्वरा होती है। अतः प्रार्थना सभा में नैतिक एवं अनुकरणीय कथन/कथा एवं प्रेरक जीवनियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।

vii. परिवेश में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में घटित होने वाली अच्छी–बुरी घटनाओं से विद्यार्थी अवश्य परिचित हों, परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि इसका उद्देश्य भय पैदा करना न हो वरन् विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करना हो।

viii. प्रत्येक अभिभावक का दूरभाष नम्बर उपस्थिति रजिस्टर में बालक के नाम के साथ अंकित हो। विशेष परिस्थिति में माता–पिता के स्थान पर अन्य अभिभावक का दूरभाष नम्बर हो सकता है, जिसका कारण सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

ix. विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के शौचालय/मूत्रालय पृथक–पृथक हों तथा पर्याप्त दूरी पर स्थित हों।

x. प्रत्येक विद्यालय में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था हो व प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स हो ।

xi. अगर विद्यालय में जल संधारण अन्डरग्राउन्ड टेंक/कुआं/खुले स्त्रोत द्वारा होता है, तो स्त्रोत समुचित रूप से ढ़का हुआ होना चाहिए एवं ढक्कन पर सदैव ताला होना चाहिए। स्त्रोत से जल निकालने की सुरक्षित व्यवस्था हो एवं विद्यार्थियों से जल निकासी का कार्य नहीं करवाया जाए।

xii. विद्यालय परिसर से हाईटेंसन विद्युत लाईन नहीं गुजरनी चाहिय। ऐसी स्थिति में तत्काल सक्षम स्तर पर सूचित कर उसे हटाने की कार्यवाही करावें।

xiii. विद्यालय में विद्युत फिटिंग सुरक्षित हो, विद्युत तार खुले नहीं हो, विद्युत उपकरण सुरक्षित स्थिति में हो ।

xiv. विद्यालय के पास धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का क्रय–विक्रय नहीं हो एवं विद्यार्थियों को इस सम्बन्ध में जागरूक रखा जावे।

xv. किसी भी स्थिति में असुरक्षित अथवा क्षतिग्रस्त कक्षा–कक्ष में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था न हो।

xvi. विद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों को उनके आवास परिक्षेत्र को आधार मानते हुए अधिकतम 40 विद्यार्थियों का समूह बनाया जावे, जिनके लिये यथा संभव उसी आवासीय अवस्थिति में निवास करने वाले शिक्षक को उनका स्कूल अभिभावक (मार्गदर्शक शिक्षक) नियुक्त किया जावे, जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय में इस बालकों से सम्बन्धित सभी विषयों/समस्याओं इत्यादि के सम्बन्ध में सतत् जानकारी रखें तथा निरन्तर इन बालकों के सम्पर्क में रहें।

xvii. अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक में अभिभावकों से ये मार्गदर्शक शिक्षक भी मिलेंगे तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक से विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति एवं समस्याओं पर विमर्श करेंगे।

xviii. प्रत्येक विद्यालय में तीन सदस्यी सतर्कता समिति का गठन किया जाए, जिसमें एक सदस्य उपलब्ध होने पर महिला हो, जो नित्य प्रति विद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों/गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए आवश्यकतानुरूप पूर्वानुमान कर आवश्यक सुझाव संस्था प्रधान को प्रदान करेंगे।

xix. विद्यार्थियों, विशेषतः बालिकाओं में आत्मसुरक्षा हेतु उन्हें जानकारी दी जावे।

xx. विद्यालयों में बाल यौनाचार एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु दिशा–निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 18.05.2017 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें ।

2. <u>शिक्षकों के दायित्वः–</u>

i. कक्षा शिक्षक विद्यालय के प्रारंभ, मध्याह्न एवं समापन पर यह पुष्ट करें कि कक्षा में विद्यार्थी अकेला तो नहीं है।

ii. विद्यार्थी अन्तराल अवधि में ही लघु शंका हेतु जावे। इससे अतिरिक्त अवधि में जाने वाले विद्यार्थी का ध्यान रखा जावे कि वो नियत समय पर लौट आया/आई है कि नहीं ? शौचालय/मूत्रालय के दूर अवस्थित होने की स्थिति में आने– जाने के दौरान विद्यार्थी पर दृष्टि रखी जानी चाहिये। आवश्यकतानुरूप छोटे विद्यार्थियों/बालिकाओं को यथा संभव लघुशंका हेतु अकेला नहीं भेजा जावे।

iii. विद्यार्थी विद्यालय में मोबाईल का प्रयोग न करें। टेबलेट/लेपटॉप अथवा कम्प्यूटर का उपयोग शिक्षक की निगरानी में ही हो। विद्यालय के कम्प्यूटर में ऐसे कार्यक्रम/सॉफ्टवेयर/ गेम (जैसे ब्लू ह्वेल) आदि कदापि ना हो, जो विद्यार्थियों में निराशा/भय का वातावरण अथवा अपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता हो।

iv. विद्यालय परिसर में खेलने के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधियों पर शिक्षकों की सामान्य दृष्टि हो।

v. विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन दृष्टिगत होने पर उसे जानने का प्रयास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था प्रधान को सूचित करें। संस्था प्रधान आवश्यक होने पर अभिभावकों से बात करे अथवा मुलाकात करें।

vi. छोटी कक्षाओं (1 से 5) के विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखा जावे। उनका बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ असामान्य रूप से/अधिक संगति करने पर भी पैनी दृष्टि रखी जानी चाहिये।

vii. लगातार अनुपस्थित रहने/देरी से आने/जल्दी जाने वाले विद्यार्थी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जावे। कई बार विद्यार्थी आवास से विद्यालय की ओर प्रस्थान कर जाता है, परन्तु विद्यालय नहीं पहुंचता है, इस प्रकार की परिस्थितियों में संस्था प्रधान को अवगत करवाते हुए कारण की गहनता से जांच करे।

3. <u>अभिभावकों के दायित्व :–</u>

i. विद्यालय में बालक/बालिका का प्रवेश करवाने से पूर्व अभिभावक विद्यालय के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी यथा विद्यालय की मान्यता/संबद्धता/मूलभूत सुविधाएं/शैक्षिक– सहशैक्षिक प्रगति के सम्बन्ध में आवश्यक अवगति प्राप्त करें। प्रवेश दिलाने के साथ ही विद्यालय, संस्था प्रधान, कक्षा शिक्षक, विषयाध्यापक, शारीरिक शिक्षक तथा मार्गदर्शक शिक्षक के दूरभाष नम्बर प्राप्त कर लेवें।

ii. अभिभावक का दायित्व है कि प्रत्येक अध्यापक–अभिभावक परिषद की बैठक में भाग लेकर बालक/बालिका के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से विमर्श करें।

iii. अभिभावक प्रत्येक दिवस पर विद्यार्थी की स्कूल डायरी तथा गृहकार्य पुस्तिकाओं को देखेंगे और शिक्षक की टिप्पणी पर आवश्यक रूप से अपनी प्रतिक्रिया करें ।

iv. प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि वह अपने बालक/बालिका के साथ नित्य कुछ समय व्यतीत करें, उनके असामान्य व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास करें। इस हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालय में संस्था प्रधान एवं शिक्षकों से सम्पर्क करें।

v. अभिभावक को आवश्यक रूप से उनके बालक/बालिकाओं के मित्रों से परिचित होना चाहिये तथा बच्चों द्वारा विद्यालय के अतिरिक्त बिताये जाने वाले समय के स्थान एवं व्यक्तियों की जानकारी भी होनी चाहिये।

vi. विद्यार्थी जिस बाल वाहिनी/ऑटो से विद्यालय जाता है,उसकी तथा उसमें कार्य करने वाले चालक/परिचालक की जानकारी भी अभिभावक को होनी चाहिये।

vii. घर में बालक द्वारा उपयोग में लिये जा रहे कम्प्यूटर/लेपटॉप/मोबाईल फोन और उसके उपयोग पर अभिभावक की सूक्ष्म निगरानी होनी चाहिये।

(पी.सी. किशन)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ।
6. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रोद्यौगिकी (ई.टी.सैल) विभाग, अजमेर।
10. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
11. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक–प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त निर्देशों की क्रियान्विति क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करें।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" , प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. सहायक निदेशक, शाला दर्पण को शाला दर्पण पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर